नकल सवाल नं०-55/08 | लगान आर रजि०-580

न्यायालय परगनाधिकारी मोदीनगर

वाद सं० 11/07-08 धारा- 143 यू०पी०जै०ए० एण्ड एल०आर०

ग्राम काकडा परगना जलालाबाद

दिल्ली इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी बनाम उ०प्र० सरकार

नकल आदेश दि०-8/2/08

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री आनन्दवर्धन चतुर्वेदी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलोजी काकडा मुरादनगर द्वारा डिवाईन इण्डिया चेरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 793 बी-364 एम०आई०जी० फ्लैट ईस्ट आफ लोनी रोड 92 के प्रार्थना पत्र दिनांक 1-2-2008 पर प्राप्त तहसीलदार मोदीनगर की आख्या दिनांक 2-2-08 जो नायब तहसीलदार मुरादनगर की आख्या दिनांक 2-2-08 सहित प्रेषित की गयी है के आधार पर दर्ज हुई । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा एक शिक्षा संस्थान ग्राम काकड़ा परगना जलालाबाद स्थित भूमि खाता सं०-327 के खसरा नंबर 243 रकबई 0.708हे० मा० 43.95 पैसे के बकदर भाग व खसरा नंबर 236 में रकबई 0.0690हे० के स्वामी हैं । उक्तभूमि में मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है । प्रार्थी को उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता है । प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जाये । प्रार्थना पत्र के साथ खाता सं० 327 से सम्बन्धित नकल खतौनी 1415-1420 फसली, प्रलेख सं० 1014 दिनांक 28-1-08 विक्रेता वेदप्रकाश बहक दिल्ली इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट टैक्नोलाजी काकडा मुरादनगर द्वारा डिवाईन इंडिया चेरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 793, पता बी-364 एम०आई०जी० फ्लैट ईस्ट आफ लोनी रोड दिल्ली 92 द्वारा जनरल सेक्रेटरी आनन्द वर्धन चतुर्वेदी द्वारा श्री बी० एम० चतुर्वेदी निवासी आर०डी०सी०-188 राजनगर गाजियाबाद व कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र पुरी पुत्र स्व० श्री रमेश पुरी निवासी ए०-464 एल०आई०जी० फ्लैट संजय एन्क्लेव दिल्ली-33 (क्रेता) की छायाप्रति संलग्न की गयी हैं। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोदीनगर द्वारा दिनांक 2-2-08 को जो आख्या नियम 135 के अन्तर्गत प्रेषित की गयी है उसमें उल्लेख किया गया है कि वादी खाता संख्या 327 के खसरा नंबर 236 के रकबा 0.069हे० तथा खसरा नंबर 243 के रकबा 0.354हे० कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.423हे० का स्वामी है । मौके पर वादी द्वारा चारदीवारी निर्मित कर कमरा बना लिया गया है । यह भूमि कृषि उपयोग की नहीं रह गयी है । आख्या में वादी के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में से खसरा नंबर 243मि० रकबा 0.354हे० को अकृषित/आबादी घोषित किए जाने की अनुशंसा की गयी है । आख्या के साथ तहसीलदार मोदीनगर द्वारा शिजरा एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 की नकलें दाखिल की गयी हैं । वाद दर्ज रजिस्टर कर उ०प्र० सरकार द्वारा नामिका वकील (माल) एवं प्रधान ग्राम सभा काकड़ा को सम्मन जारी किये गए। प्रतिवादी पक्ष की ओर से नामिका वकील (माल) द्वारा जो प्रतिवाद पत्र दिनांक 8-2-08 को प्रस्तुत किया गया है उसमें वादी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार मोदीनगर की आख्या पर अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है ।

पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी, [illegible]

मोदीनगर की आख्या/संस्तुति दिनांक 2-2-08 एवं नामिका वकील (माल) के प्रतिवाद पत्र दिनांक 8-2-08 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 327 के खसरा नंबर 243मि0 रकबा 0.354है0 वादी की संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है, भूमि में ग्राम सभा तथा उ0प्र0 सरकार का कोई हित निहित नहीं है। आख्या अनुसार खसरा नं0 243मि0 के उक्त रकबा की चारदीवारी बनी हुई है, एक कमराभी निर्मित है। भूमि का प्रयोग कृषि हेतु नहीं किया जा रहा है कोई आपत्ति प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्राप्त ना होने के कारण वादी का वाद निर्विवाद है। ऐसी दशा में तहसीलदार मोदीनगर की आख्या/संस्तुति के आधार पर खसरा नंबर 243मि0 के रकबा 0.354है0 ~~xxx~~ को अकृषित /आबादी घोषित किए जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी जनरल सेक्रेटरी आनन्द वर्धन चतुर्वेदी पुत्र श्री बी0एम0 चतुर्वेदी नि0 आर0डी0सी0-188 राजनगर गाजियाबाद का प्रार्थना पत्र दिनांक 1-2-08 तहसीलदार मोदीनगर की आख्या/संस्तुति दि0 2-2-08 के आधार पर स्वीकार करते हुए ग्राम काकड़ा प0 जलालाबाद के खाता सं0 327 के खसरा नंबर 243मि0 रकबा 0.354है0 जो दिल्ली इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेन्टटैक्नोलॉजी काकडा मुरादनगर द्वारा डिवाईन इंडिया चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 793 पता बी-864 एम0आई0जी0 फ्लैट ईस्ट ऑफ लोनी रोड दिल्ली-92 द्वारा जनरल सेक्रेटरी आनन्द वर्धन चतुर्वेदी पुत्र श्री बी0एम0 चतुर्वेदी निवासी आर0डी0सी0-188 राजनगर गाजियाबाद व कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र पुरी पुत्र स्व0 श्री रमेश पुरी निवासी- ए-464 एल0आई0जी0 फ्लैट संजय एन्क्लेव दिल्ली-33 की संक्रमणीय भूमिधरी कीभूमि है, को उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषित/आबादी घोषित की जाती है। आदेश की एक-एक प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक मोदीनगर को उ0प्र0जमीं0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के सहपठित नियम 137 में अपेक्षा के अनुरूप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अन्तर्गत निबन्धन हेतु एवं तहसीलदार मोदीनगर को उक्तानुसार माल कागजात में अमल दरामद हेतु भेजी जाकर इस न्यायालय की वाद पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जाए।

दिनांक:- 08-2-2008

(पवन कुमार)
परगनाधिकारी
मोदीनगर।

55/08

11/2/08
11/2/08
13:00

COURT FEE भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
CANCELLED

फोटोस्टेट

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
S.D.O/S.D.M